मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"

वल्लभ भवन, भोपाल—462004

क्रमांक सी-6/2/04/3/एक भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2004

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय कमिश्नर, मध्यप्रदेश.

विषय.—प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध संभागीय कमिश्नरों द्वारा संस्थित अनुशासनात्मक कार्यवाही का समन्वय.

सन्दर्भ.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी 6-5/97/3/एक, दिनांक 1 जनवरी, 2002

राज्य शासन के संदर्भित अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उप नियम (2) के खंड (क) तथा (ख) के अनुसरण में समस्त संभागीय आयुक्तों को अपने-अपने संभागों में पदस्थ/पूर्व में पदस्थ रहे राज्य शासन के सभी विभागों के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के (न्यायिक सेवा एवं पुलिस विभाग के भिन्न) शासकीय सेवकों पर संबंधित संभाग में पदस्थापना की कालावधि के दौरान अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं के लिये, अनुशासनिक कार्यवाही करने तथा उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने के लिये सशक्त किया गया था. इसके फलस्वरूप संभागीय कमिश्नर उपरोक्त श्रेणी के अधिकारियों को निलंबित करने के लिये भी सशक्त है.

2. शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि संभागीय कमिश्नरों से उपरोक्तानुसार प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के विरुद्ध संस्थित अनुशासनात्मक मामलों की जानकारी यथाशीघ्र संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष को प्राप्त नहीं हो पाती है. इसके कारण कभी-कभी अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित होते हुए भी संबंधित शासकीय सेवक को पदोन्नति आदि का लाभ प्राप्त होने की स्थिति बन जाती है.

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शासन निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करता है:—

(1) जब भी किसी प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवक को कमिश्नर द्वारा निलंबित किया जाता है अथवा/एवं उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जाती है तो इसकी सूचना (संबंधित आदेशों की प्रतियों सहित) तत्काल संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष को देगा. साथ ही, इस विषय में समय-समय पर जारी अन्य समस्त आदेशों की प्रतियां भी संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष को पृष्ठांकित की जायेगी.

(2) शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक/आपराधिक मामलों की जानकारी समुचित रूप से कम्प्यूटर पर संधारित की जाय तथा इसे अद्यतन रखा जाय.

हस्ता./-
(सी. एस. तिवारी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.